| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/6/२४ | वकुलाप उपस्थित। मिसल इंतजार केस डायरी में दिनांक 18/6/२४ को पेश हो। | |
| 18/6/२४ | वकुलाप उपस्थित। पुलिस थाना, डाबी से केस डायरी प्राप्त हो चुकी है। मिसल वास्ते बहस दिनांक 01/7/२४ को पेश हो। | |
| 01/7/२४ | वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 8/7/२४ को पेश हो। | |
| 8/7/२४ | वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 15/7/२४ को पेश हो। | |
| 15/7/२४ | वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश २२/7/२४ को पेश हो। | |
| २२/7/२४ | वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन रहा कि जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में FIR No. 75/२०२४ थाना डाबी में जप्तशुदा वाहन मारुति अल्टो कार RJ २८ CA 5038 के थाने | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | में रहने से उसके पार्ट्स खराब होने का पूरा अंदेशा है, अत: उक्त वाहन उसके मालिक प्रार्थी रोशनसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी डोल्या, लाडपुरा कोटा की सिपुर्दगी में दिया जावें। जबकि पेरोकार सरकार का तर्क रहा कि प्रकरण में अभी अनुसंधान अपेक्षित होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि दिनांक 10/04/24 को धनेश्वर टोलनाके पर एक कार रजि.नं. RJ28CA 5038 में 8 ड्रम प्लास्टिक में कुल 350 लीटर मात्रा पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। वाहन चालक श्री लवलीयादव ने उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध्य खरीद होना बताया तथा परिवहन आदि विषय में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिससे उक्त वाहन जप्त कर थाना परिसर में खड़ा कर मालखाना प्रभारी थाना डाबी की सिपुर्दगी में दिया गया। प्रकरण में प्राप्त थाना डाबी की केस डायरी 75/2024 से स्पष्ट है कि मामले में जप्तशुदा वाहन RJ28 CA 5038 के पंजीकृत वाहन स्वामी से अनुसंधान अपेक्षित है ऐसी स्थिति में जप्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। केस डायरी उपस्थित पुलिसकर्मी श्री अनिलकुमार के साथ थाना डाबी को लौटाई गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।<br><br>जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी | प्रकरण सं 75/24 धारा 3/7 ... PS डाबी की पत्रावली प्राप्त की।<br>Fc 1278<br>22/07/2024<br>अनिल कुमार<br>Fc 1278 PS डाबी |